



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 2936

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 44121 सन् 2025

फरमान

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता

:-

अजय त्रिपाठी, राम कुमार दुबे

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:-

जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राम कुमार दुबे, राज्य-प्रतिवादियों के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री पुनीत कुमार सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मामला अपराध संख्या 478/2025 में, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अंतर्गत, थाना सिविल लाइंस, जिला मुरादाबाद में दर्ज मामले में, विचारण की लंबितता के दौरान जमानत पर रिहाई की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और गुप्त उद्देश्य के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न गिरोह-चार्ट में, आवेदक के खिलाफ केवल एक मामला दिखाया गया है जिसमें वह जमानत पर है। गिरोह के आरोप को छोड़कर 4 और मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे जमानत आवेदन के पैरा संख्या 9 में स्पष्ट किया गया है और सभी मामलों में आवेदक जमानत पर है।
4. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य या नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में गिनाई गई गिरोह की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गतिविधियों में सहायता या प्रोत्साहन नहीं दिया है। उपरोक्त मामले को छोड़कर आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 16.11.2025 से जेल में बंद है, उपक्रम देता है कि यदि जमानत दी जाती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी लंबितता के कारण विचारण के शीघ्र समापन की कोई संभावना नहीं है।

5. इसके विपरीत विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दर्शाए गए मामलों को छोड़कर आवेदक के खिलाफ कोई अन्य मामला नहीं बताया है।
6. तथ्यों की समग्रता, अभिलेख से प्रतिबिंबित प्रकृति और साक्ष्य पर विचार करते हुए और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को भी ध्यान में रखते हुए और मामले के गुणों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला लगता है। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
7. अभियुक्त-आवेदक, **फरमान को उपर्युक्त मामला अपराध संख्या** में निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए-
 - I. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - II. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।
 - III. आवेदक (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करने और (iii) दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



IV. आवेदक इस आशय का उपक्रम दाखिल करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो साक्ष्य के लिए निर्धारित तारीखों पर वह कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

V. आवेदक निर्धारित प्रत्येक तारीख पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और किसी भी तरह से मामले के गुणों पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझी जाएगी। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

5 जनवरी, 2026

विभा सिंह